

31/2/18 पत्रावली पेश हुई। वकील परामर्श उप  
 नही वारी व अधिवक्ता वारी को बाल-2  
 आवाज लगाई जाने के उपरान्त इच्छ नहीं  
 अंतिम आवाज सायं 5:00 बजे लगाई गई  
 लेकिन इच्छ नहीं। अतः वारी का वाद अदम  
 धजरी अदम फेली में खारिज किया जाता है  
 पत्रावली फेली अग्रिम होकर दाखिल दस्ता  
 है।

सपखण्ड अधिवक्ता चिडावा  
 जिला झुन्झुनू (राज.)